

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या: 4155 / उ०ख०/भू०खनि०नि०/वि०निवि०परि०/2023-24,

दिनांक 07 नवम्बर, 2023

वित्तीय निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र०ख०ला०/ई०नी०/वि०का०३०/भू०खनि०नि०/2023-24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा विज्ञापितकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 2748/Teh\_006/भू०खनि०नि०/ई०नीला०/2023-24, दिनांक 29.08.2023 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील बालगंगा के ग्राम अगुण्डा, धर्मगंगा नदी, उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) के खाता संख्या 14 खसरा संख्या 912 रकवा 0.384 है० मध्ये 0.200 है० उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रतिवर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 7200 टन एवं आधार मूल्य रू० 5,04,000.00 निर्धारित करते हुए नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है० से कम क्षेत्रफल हेतु राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में उक्त लॉट की तकनीकी निविदा दिनांक 21.09.2023 (गुरुवार) को खोली गयी, जिसमें 0 (शून्य) बिड प्राप्त होने तथा तकनीकी निविदा में ऑनलाईन न्यूनतम 03 निविदा प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के आदेश संख्या 3307/उ०ख०/भू०खनि०नि०/ई-निविदा तकनी०नि०/2023-24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

उक्त लॉट की निविदा आमंत्रण संख्या 3581/Teh\_006/भू०खनि०नि०/ई०नीला०/2023-24, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 17.10.2023 (मंगलवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी। निविदा समिति की संस्तुति दिनांक 17.10.2023 (मंगलवार) के अनुसार जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील बालगंगा के ग्राम अगुण्डा, धर्मगंगा नदी, उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) के खाता संख्या 14 खसरा संख्या 912 रकवा 0.384 है० मध्ये 0.200 है० उपखनिज क्षेत्र में दिनांक 17.10.2023 (मंगलवार) को तकनीकी निविदा खोली गयी, जिसका परिणाम दिनांक 31.10.2023 को घोषित किया गया।

निदेशालय के पत्र संख्या 3910/उ०ख०/भू०खनि०नि०/ई-निविदा तकनी०नि०/2023-24, दिनांक 31.10.2023 के द्वारा निविदा समिति की संस्तुति के दिनांक 17.10.2023 के अनुसार जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील बालगंगा के ग्राम अगुण्डा, धर्मगंगा नदी, उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) के खाता संख्या 14 खसरा संख्या 912 रकवा 0.384 है० मध्ये 0.200 है० उपखनिज क्षेत्र की तकनीकी निविदा में निम्न निविदादाता को सफल घोषित किया गया :-

क्र०सं०	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	2	3
1.	श्री देवेन्द्र सजवाण	अभिलेख पूर्ण, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम-20(16) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।

ई-निविदा सह ई-नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा दिनांक 01.11.2023 (बुधवार) समय पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली गयी, जिसका परिणाम निम्नवत् है :-

क्र० सं०	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त बोली धनराशि (रू० में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार H1 का परिणाम (रू० में)
1	2	3	4
1.	श्री देवेन्द्र सजवाण	5,18,400.00	H1


उपरोक्तानुसार ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाता को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमांक 01 पर वर्णित बोलीदाता श्री देवेन्द्र सजवाण को H1 बोलीदाता घोषित किया जाता है।



उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच-1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0-1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरुद्ध नियम-23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच-2 बोलीदाता को एच-1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Money) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया एच-3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में ई-नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई-नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार श्री देवेन्द्र सजवाण पुत्र श्री बलवीर सिंह सजवाण, निवासी- सेक्टर 5ए, बौराडी, जनपद टिहरी गढवाल H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 5,18,400.00 (रू0 पांच लाख अट्ठारह हजार चार सौ मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 1,29,600.00 (रू0 एक लाख उनतीस हजार छः सौ मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 5,04,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य 1,26,000.00 की धनराशि अर्नेस्ट मनी के सापेक्ष सेन्ट्रल बैंक द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 245408, दिनांक 13.10.2023, रू0 1,96,000.00 (रू0 एक लाख छियानवें हजार मात्र) के द्वारा निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 1,29,600.00 - 1,96,000.00 = + रू0 66,400.00) रू0 66,400.00 (रू0 छियासठ हजार चार सौ मात्र) अधिक है, उक्त अधिक जमा की गई धनराशि को यदि वापस लिया जाना है तो उच्चतम बोली रू0 5,18,400.00 (रू0 पांच लाख अट्ठारह हजार चार सौ मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 1,29,600.00 (रू0 एक लाख उनतीस हजार छः सौ मात्र) के समतुल्य धनराशि नवीन एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में देय हो, जमा की जानी होगी, के जमा किये जाने पर पूर्व जमा एफ0डी0आर0 वापस कर दी जायेगी, अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को खनन पट्टा स्वीकृति के उपरान्त पट्टाधनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।


अतः H1 बोलीदाता श्री देवेन्द्र सजवाण पुत्र श्री बलवीर सिंह सजवाण, निवासी- सेक्टर 5ए, बौराडी, जनपद टिहरी गढवाल को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत अपनी सहमति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि तदनुसार नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।

  
 (एस0एल0 पैट्रिक)  
 निदेशक

संख्या: 4155/उ0ख0/भू0खनि0नि0/वि0निवि0परि0/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद टिहरी गढवाल।
4. एच-1 बोलीदाता श्री देवेन्द्र सजवाण पुत्र श्री बलवीर सिंह सजवाण, निवासी- सेक्टर 5ए, बौराडी, जनपद टिहरी गढवाल।

  
 (एस0एल0 पैट्रिक)  
 निदेशक